tion in part length is being included in Annual Plan 1991-92 as spillover work of Annual Plan 1990-91.

Establishment of a Nuclear Free Zone in South Asia

245. SHRI KAPIL VERM A:
KUMARI SUSHILA TIRIA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pakistan Prime Minister has spoken to the new Indian Prime Minister on phone urging review of India's rejection of Pakistan's proposal for a Ave nation dialogue for establishment of nuclear free Zone in South Asia, if so, the details thereof; and

(b) whether the proposal was discussed at the level of Foreign Ministers or Foreign Secretaries of the two countries on the occasion of SAARC meeting at Male in early July; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) There was no specific discussion on this proposal.

(b) There was no discussion on the subject at the Ministerial level between the two countries on the occasion of the meeting of the SAARC Council of Ministers in Male in early July. In the discussion between the Foreign Secretaries of the two countries on this occasion, the subject was generally touched upon but not discussed in any substantive detail.

देश में कार्यरत केन्द्रीय और राज्य सड़क परिवहन निगम

246. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत उन विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सड़क परिवहन निगमों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के दौरान लाभ कमाया है;

(ख) क्या इनमें से कुछ निगमों को घाटा भी हुआ है, यदि हां, तो कितना; और

(ग) क्या इन निगमों को हुई हानि को ध्यान में रखते हुए सरकार इनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कोई आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1989–90 के दौरान केवल गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने लाभ अर्जित किया है। उक्त निगम आर०टी०सी० अधिनियम के अधीन पंजीकृत है।

(ख) सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर प्रबोधन (मानीटर) करती है। सरकार द्वारा राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते समय निम्नलिखित मूल तत्वों पर विचार किया गया है :–

(1) वाहन उत्पादकता,

(2) स्टाफ, उत्पादकता,

(3) ईंधन की बचत,

(4) प्रति बस प्रति दिन यात्री किलोमीटर,

(5) प्रति बस प्रति दिन निवल लाभ/घाटा,

(6) वित्त का प्रचालन अनुपात,

(7) प्रति सैकड़ा यात्री किलोमीटर प्रचालन लागत।

विवरण

वे राज्य परिवहन निगम जिनको वर्ष 1989–90 के दौरान घाटा हुआ है

1.	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	-6642.88 लाख रु०
2.	आन्ध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम	-2062.63 लाख रु०
3.	केरल राज्य सड़क परिवहन निगम	-1956.88 लाख रु०
4.	उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम	-2474.81 लाख रु०
5.	कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम	-3779.17 लाख रु०
6.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	-634.86 लाख रु०
7.	बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	-2806.35 लाख रु०
8.	पेप्सू सड़क परिवहन निगम	-1922.18 लाख रु०
9.	उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम	-585.39 लाख रु०
10.	दक्षिण बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	-463.73 लाख रु०
11.	हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम	-1763.88 लाख रु०
12.	असम राज्य सड़क परिवहन निगम	-1278.68 लाख रु०
13.	त्रिपुरा राज्य सड़क परिवहन निगम	-247.96 लाख रु०
14.	मणिपुर राज्य सड़क परिवहन निगम	-6.76 लाख रु०
15.	दिल्ली परिवहन निगम	-11984.56 लाख रु०
16.	कलकत्ता राज्य सड़क परिवहन निगम	-3248.58 लाख रु०
17.	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-1945.00 लाख रु०
18.	मेघालय राज्य सड़क परिवहन निगम	-336.30 लाख रु०
19.	उत्तर बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम	-378.33 लाख रु०
20.	जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम	-1121.00 लाख रु०

डाक एवं तार विभाग में गैर-विभागीय व्यक्तियों को नियमित किया जाना

2417. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आशिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक एवं तार विभाग में अभी भी बड़ी संख्या में गैर-विभागीय व्यक्ति सब, पोस्टमास्टर, ब्रांच पोस्टमास्टर आदि पदों पर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) उनका वेतन इत्यादि किस मानदण्ड के आधार पर दिया जा रहा है और क्या उन्हें नियमित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 31.3.90 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 2,98,246 है।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के मूल भत्तों का निर्धारण उनके न्यूनतम और अधिकतम कार्यभार के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति यथासमय और उसी दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है। इस समय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 51 प्रतिशत है।